न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 21/2023

1 पूर्ण सिंह उम्र 50 साल पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गिरवर सिंह दत्तक पुत्र बच्चन सिंह
2 कैलाश सिंह पुत्र श्री समुन्द्र सिंह
3 गुड्डी पुत्री समुन्द्र सिंह
4 बिल्लो पुत्री समुन्द्र सिंह
5 सायर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
6 सुमेर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
7 उम्मेद देवी पत्नी समुन्द्र सिंह
8 किशन सिंह पुत्र महावीर सिंह
9 कमलेश कंवर पुत्री महावीर सिंह
10 ओमी देवी पत्नी महावीर सिंह
11 नौरंग सिंह पुत्र महावीर सिंह
12 रमेश सिंह पुत्र महावीर सिंह
13 संतोष कंवर पुत्री महावीर सिंह
14 भवानी सिंह पुत्र सवाई सिंह
15 प्रिंस पुत्र सवाई सिंह
16 बेबी पुत्री सवाई सिंह
17 रेशमी पुत्री सवाई सिंह
18 शारदा पुत्री सवाई सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

19 कुसुम पुत्री सवाई सिंह
20 मुकेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
21 मानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
22 लीला सिंह पुत्र मुसदी सिंह
23 रोहताश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
24 प्रकाश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
25 निरंजन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
26 परिक्षित सिंह पुत्र नागर सिंह
27 शेरसिंह पुत्र नागर सिंह
28 सत्यवीर सिंह पुत्र नागर सिंह
29 हीरो देवी पत्नी नागर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

30 इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक कोलिहान नगर खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

31 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिकी
दिनांक 06.04.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
दावा उनवानी गिरवर सिंह बनाम कैलाश सिंह वगै. दावा
बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम बमुकदमा नम्बर 130/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 22/2023

1 पूर्ण सिंह उम्र 50 साल पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गिरवर सिंह दत्तक पुत्र बच्चन सिंह
2 कैलाश सिंह पुत्र श्री समुन्द्र सिंह
3 गुड्डी पुत्री समुन्द्र सिंह
4 बिल्लो पुत्री समुन्द्र सिंह
5 सायर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
6 सुमेर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
7 उम्मेद देवी पत्नी समुन्द्र सिंह
8 किशन सिंह पुत्र महावीर सिंह
9 कमलेश कंवर पुत्री महावीर सिंह
10 ओमी देवी पत्नी महावीर सिंह
11 नौरंग सिंह पुत्र महावीर सिंह
12 रमेश सिंह पुत्र महावीर सिंह
13 संतोष कंवर पुत्री महावीर सिंह
14 भवानी सिंह पुत्र सवाई सिंह
15 प्रिंस पुत्र सवाई सिंह
16 बेबी पुत्री सवाई सिंह
17 रेशमी पुत्री सवाई सिंह
18 शारदा पुत्री सवाई सिंह

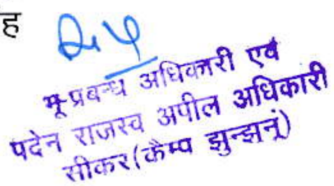

19 कुसुम पुत्री सवाई सिंह
20 मुकेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
21 मानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
22 लीला सिंह पुत्र मुसदी सिंह
23 रोहताश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
24 प्रकाश सिंह पुत्र मुसदी सिंह
25 निरंजन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
26 परिक्षित सिंह पुत्र नागर सिंह
27 शेरसिंह पुत्र नागर सिंह
28 सत्यवीर सिंह पुत्र नागर सिंह
29 हीरो देवी पत्नी नागर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

30 इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक कोलिहान नगर खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

31 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध एकपक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी गिरवर सिंह बनाम कैलाश सिंह वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बमुकदमा नम्बर 130/2019

भू.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

उपस्थिति :

1. श्री उमेश शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–28.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 130/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद खाता विभाजन का पेश किया गया था रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा दावे में वर्णित अनुसार भूमि हाल खसरा नम्बर 1056, 1057, 1104, 1137, 1138, 1139, 1202, 2274/1153, 964, 968, 974 कुल किता 11 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर में वादी (रेस्पोडेन्ट नम्बर 1) एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 28 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त वादग्रस्त कृषि में से आपने 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार का अनुतोष चाहा गया था। मामले में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 5, 6, 10, 20, 21, 23, 25, 26 व 27 के नोटिस इन्कारी से तामील होकर प्राप्त होने की रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त हुई जो विचारण न्यायालय द्वारा तामील पर्याप्त मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 04.01.2021 को अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नम्बर 2, 3, 4, 7, 8, 9 व 11 लगायत 19, 28, 29 के नोटिस इंकारी से तामील होकर प्राप्त हुये है। इनके विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

10.03.2021 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 30 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उक्त दिनांक 10.03.2021 को ही पी.डब्ल्यू. 1 गिरवर सिंह, पी. डब्ल्यू 2 होशियारी देवी का शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2021 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी का प्राथमिक डिक्री कर दिया गया एवं तहसीलदार खेतड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया। पक्षकारान को बिना सूचित किये ही नायब तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश किये गये तत्पश्चात मामले में दिनांक 01.08.2022 को मुताबिक विभाजन दिनांक 17.06. 2021 के मामले में एकपक्षीय अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट गाजियाबाद रहता है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 मध्यप्रदेश में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 12 रमेश सिंह भारतीय सेना में नौकरी करता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 व 13 अपीलान्ट की बहिन है जो शादीशुदा है जो अपने ससुराल में रहती है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 व 9 ग्राम डाडाफतहेपुरा में रहते है। इसलिए वादी (रेस्पोडेन्ट नम्बर 1) ने तामील कुनिन्दा से मिलकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8, 9, 10, 12, 13 की गलत तामील करवाई है। उक्त के नोटिस पर गवाहान की पूर्ण वल्दियत व पता अंकित नहीं है तथा मौजूदा वाद दर्ज होने के बाद एवं माह अप्रेल 2021 में अपीलान्ट के ग्राम डाडाफतेहपुरा में किसी प्रकार का आयोजन भी नही था जो सभी पक्षकारान एक साथ अपने घर ग्राम डाडा फतेहपुरा में उपस्थित हो। अपीलान्ट को सुनवाई एंव जवाबदेही, साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है। इसलिए विचारण न्यायालय का एकपक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के पिता महावीर सिंह ने अपने छोटे भाई समुन्द्र सिंह पुत्र महताब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

सिंह से अपने 1/6 हिस्से में 3/13 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2002 अपने पक्ष में निष्पादित करवाया उक्त विक्रय पत्र में से ही भूमि खसरा नम्बर 1138 पर अपीलान्ट के पिता को कब्जा दिया गया था। इसलिए अपीलान्ट व उसके भाई अपने पिता के समय ही भूमि खसरा नम्बर 1138 के रकबा 0.12 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नोटिस से सूचित नहीं किया गया तथा ना ही अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस मिला है ना ही कोई सूचना दी गई। मौके पर विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया है केवल औपचारिक रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 गिरवर सिंह एवं उसकी माता होशियारी देवी की उपस्थिति दर्ज की गई है। तहसीलदार खेतड़ी मौके पर नहीं गया है केवल पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर नायब तहसीलदार खेतड़ी से विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करवाया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया गया था जब मौके पर विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बिना पक्षकारों को सूचित किये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8, 9, 10, 12, 13 की गैरहाजरी में तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस की सहमति बाबत भी हस्ताक्षर नहीं है केवल मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। पटवारी हल्का तथा नायब तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर बाबत कोई टिप्पणी भी अंकित नहीं की गई है। अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर मिला तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर मामले का निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए भी विचारण न्यायालय का एकपक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद अपील धारा 5 प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2024(1) रेव पेज 680, डीएनजे 2023(1) रेव पेज 1, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1021, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1502, डीएनजे 2022(1) रेव पेज 339, डीएनजे 2021(2) रेव पेज 1176, डीएनजे 2021(2) रेव पेज 1084 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 11 है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट का नोटिस चस्पांदगी से तामीलशुदा संलग्न है इस नोटिस की पुश्त पर दो गवाह के हस्ताक्षर है। अपीलांट के विरूद्ध विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिए कोई कार्यवाही अपीलांट द्वारा नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में 29 प्रतिवादी थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 11 अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। अन्य किसी पक्षकार ने विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा तैयार किये गये है। इन विभाजन प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना में रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। गुणावगुण पर हम विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 28.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर